न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 69 / 2017 / बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी के राजस्व आवेदन संख्या 14 / 2017 बअनवान ठाकराराम बनाम भैराराम में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017।

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. नाथाराम पुत्र भेराराम 2. सताराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	बनाम	1.ठाकराराम पुत्र देवाराम 2.भैराराम पुत्र तुलछाराम 3.मोतीराम पुत्र पुरखाराम 4.जेहाराम पुत्र पुरखाराम 5.केहराराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर। 6.बी सी सी बी शाखा सिणधरी 7.एस बी बी जे शाखा सिणधरी 8.तहसीलदार एवं उपपंजीक सिणधरी।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 13.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 1 ने राजस्व आवेदन खसरा संख्या 92 / 3 रकबा 112.01 बीघा भूमि मौजा निम्बली तहसील सिणधरी का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जो दिनांक 15.06.2017 को अपीलांटगण को बिना सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान किये आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण किये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन उतरदाता संख्या 1 के पक्ष में नहीं होकर अपीलांट के पक्ष में है। अपीलाधीन आराजी का अपीलांटगण रिकार्डेड खातेदार है तथा मौके पर मात्र अपीलांटगण का ही कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में यदि अपीलांटगण के उपयोग व उपभोग में विधन डाला जाता है या निषेधाद्या से पाबन्द किया जाता है तो

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांटगण के अधीकारों का हनन व अतिक्रमण होता है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण किये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन उतरदाता संख्या 1 के पक्ष में नहीं होकर अपीलांट के पक्ष में है। अपीलाधीन आराजी का अपीलांटगण रिकार्डेड खातेदार है तथा मौके पर मात्र अपीलांटगण का ही कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में यदि अपीलांटगण के उपयोग व उपभोग में विघन डाला जाता है या निषेधाद्या से पाबन्द किया जाता है तो अपीलांटगण के अधीकारों का हनन व अतिक्रमण होता है।अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि विप्रार्थी संख्या 1 के पिता द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि का बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये विवादित भूमि का आगे से आगे बेचान किया जा रहा है, और प्रार्थी के हक हिस्से एवं कब्जा काश्त की भूमि मे आये दिन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, कि उसके हिस्से की भी भूमि का बेचान कर दिया जाऐगा जबकि रेस्पोडेंट/प्रार्थी का विवादित भूमि पर उसके हक हिस्सा अनुसार मौके पर कब्जा चला आ रहा है, यदि इसमें सफल हो गये तो रेस्पोडेंट/प्रार्थी के वादपत्र का मकसद ही समाप्त हो जाऐगा और रेस्पोडेंट/प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजस्व रिकॉर्ड तहरीर करते वक्त रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता का हक–हिस्सा आपस में परिवर्तित होकर गलत दर्ज हो गया। तेजा के पुत्रों तुलछा व देवा का जो 1/2–1/2 हिस्सा निहित था उसमें बेचान के फलस्वरूप अंततः तुलछा एवं तत्पश्चात भैरा के वास्तविक हक–हिस्से में केवल 28.18 बीघा भूमि ही खातेदारी की शेष रह जाती है जिसे रेस्पोडेंट संख्या 2 भैराराम पुत्र तुलछाराम व्ययन/उपभोग

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

करने का अधिकार रखता है और वही इसके अधिक भूमि का बेचान नहीं करने के लिए उतरदायी रहेगा। इसी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय परिवर्तित (Modify) किया जाना न्यायोचित रहेगा ताकि अन्य पक्षकारों के हितों पर अनावश्यक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर रेस्पोडेंट संख्या 2 भैराराम पुत्र तुलछाराम को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह पूर्ववर्ती बेचानों के अतिरिक्त भी यदि कोई बेचान आज से पूर्व किया गया है तो उन्हें सम्मिलित करते हुए विवादित खसरा संख्या 92/3 में उसके हिस्से रही 28.18 बीघा भूमि से अधिक का व्ययन/उपभोग नहीं करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

13/3/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner